

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 145]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 26, 1977/चैत्र 5, 1899

No. 145]

NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 26, 1977/CHAITRA 5, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Banking Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 24th March 1977

S O 260(E)—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act 1976 (21 of 1976), the Central Government, being requested so to do by the State Bank of India, establishes, with effect from the 26th March, 1977, a Regional Rural Bank in the State of Madhya Pradesh under the name of Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank which shall operate within the local limits of the districts of Chhatarpur and Tikamgarh in the State of Madhya Pradesh

[No. F. 4-138/76-AC(I)]

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(बैंकिंग पक्ष)

अधिपूचनाएं

नई दिल्ली, 24 मार्च 1977

का० घा० 260(घ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा (3) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय

स्टेट बैंक के अनुरोध पर 26 मार्च, 1977 से मध्य प्रदेश राज्य में 'बुंदेलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक' नामक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती है। यह बैंक मध्य प्रदेश राज्य के छत्तपुर और टीकमगढ़ जिलों की स्थानीय सीमाओं में अपना कारोबार करेगा।

[सं. एफ० 4-138/76 ए० सी० (1)]

S.O. 261(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and the State Bank of India, by which Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank has been sponsored specifies Tikamgarh as the place where Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 4-138/76-AC(II)]

का० प्रा० 261(अ).—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बुंदेलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के प्रयोजक भारतीय स्टेट बैंक के परामर्श से टीकमगढ़ को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर बुंदेलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[सं. एफ० 4-138/76 ए० सी० (2)]

S.O. 262(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank, being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 4-138/76-AC(III)]

K. P. A. MENON, Addl. Secy.

का० प्रा० 262(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (क) के उपखण्ड (iii) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा बुंदेलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को उक्त उप खण्ड के प्रयोजन के लिये प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत स्थापित संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं. एफ० 4-138/76-ए० सी० (3)]

के० पि० ए० मेनन, अपर सचिव।

RESERVE BANK OF INDIA

(Department of Banking Operations and Development)

Bombay, the 26th March 1977

S.O. 263(E).—In pursuance of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely —

Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank, Tikamgarh

[No. DBOD. 152/INCL/C 102-77]

J. C. Luther, Dy Governor,

भारतीय रिजर्व बैंक
(बैंकिंग परिवर्तन तथा विकास विभाग)

[बम्बई, 26 मार्च 1977]

क्रा० प्रा० 263(अ).—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा यह निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाय, अर्थात् :—

बुंदेलखण्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, टीकमगढ़

[सं० डी० बी० ओ० डी० 152/आई० एम०सी०एल०, सी० 102/77]

जे० सी० लुथर, उप-नवर्नर ।

